



## कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदीघाट, इलाहाबाद-211014

परिपत्र संख्या 622

दिनांक 03.04.2019

सेवा में,

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक लेखा, केन्द्रीय कार्यालय सी-7, दूसरी मंजिल, बान्द्रा कुर्ला परिसर, पो.बा.नं. 8143, बांद्रा ईस्ट मुम्बई -51
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त महाप्रबंधक।
3. नोडल अधिकारी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक।
4. प्रबंधक, समस्त केन्द्रीय पेंशन प्रकीर्णन केन्द्र।
5. सैन्य एवं वायु अटैची, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल।
6. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडीगढ़।
7. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
8. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
9. समस्त राज्यों के कोषागार निदेशक।
10. वेतन लेखा अधिकारी, दिल्ली प्रशा. , आर के पुरम् एवं तीसहजारी नई दिल्ली।
11. वेतन लेखा कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई।
12. डाकपाल कटुआ, ज.व का. एवं कैम्प बेल वे
13. प्रधान वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशा., पोर्ट ब्लेयर।

विषय: 01.06.1953 से पूर्व के सभी रक्षा पेंशनरों एवं उनके परिवार जनों के लिए एक रैंक एक पेंशन का कार्यान्वयन।

संदर्भ:- रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 03.02.2016 का पत्रांक 12 (1)/2014/डी(पेंशन/पॉलिसी)- भाग -2 (परिपत्र संख्या 555 दिनांक 04.02.2016), परिपत्र संख्या 557 दिनांक 17.03.2016, परिपत्र संख्या 580 दिनांक 05.07.2017, परिपत्र संख्या 581 दिनांक 02.08.2017 एवं परिपत्र संख्या 591 दिनांक 13.11.2017

पेंशन संवितरण एजेंसियों को विदित है कि इस कार्यालय के दिनांक 04.02.2016 के परिपत्र संख्या 555 के अनुसार दिनांक 01.07.2014 की प्रभावी तिथि से पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा उक्त परिपत्र के साथ संलग्न सारणी के अनुसार सशस्त्र सैन्य बलों के पेंशन का संशोधन किया जाना है।

2. इसी क्रम में नियमित सेना के गुप 'वाई' समूह के वर्ष 53 के पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले जेसीओ/अन्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए निर्धारित साधारण परिवार पेंशन, विशेष परिवार पेंशन, विशेष परिवार पेंशन संबंधी दूसरा जीवन अवार्ड, उदारीकृत परिवार पेंशन, उदारीकृत परिवार पेंशन संबंधी दूसरा जीवन अवार्ड, विकलांगता /100 प्रतिशत विकलांगता हेतु उदारीकृत विकलांगता अंश, 100 प्रतिशत विकलांगता (अशक्तता के मामले) हेतु युद्ध क्षति अंश को एक रैंक एक पेंशन योजना के अधीन 1953 के पहले सेवानिवृत्त हुए फौजियों के परिजनों को अनुमन्य किया जा सकता है।

3. पुनः उन मामलों के संदर्भ में जिनका डाटा पेंशन संवितरण अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं है, कोर पीपीओ जारी करने के बावत रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक इलाहाबाद को भेजा जाए।
4. उपरिलिखित परिपत्र के आलोक में इस कार्यालय के दिनांक 13.11.2017 का परिपत्र संख्या 591 पूर्णरूपेण निरस्त किया जाता है।
5. इस परिपत्र को सभी रक्षा पेंशनरों एवं पेंशन संवितरण एजेंसियों के साथ- साथ सभी पक्षों में प्रस्सरण हेतु कार्यालय की वेबसाइट [www.pcdapension.nic.in](http://www.pcdapension.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है

(एस.के.सिंह)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./167/XXX

दिनांक 03.04.2019

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन, नई दिल्ली -11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ़।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय, द्वारा आई.एन.एस. तानाजी, सायन ट्राम्बे रोड, मानखुर्द, मुम्बई-88
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी./एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक, पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
18. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
19. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
20. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.)।
21. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
22. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
24. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
25. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

26. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग, जी-3 अनुभाग एवं जी-4 अनुभाग
27. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
28. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
29. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
30. रक्षा पेंशन लाइजिन कक्ष।
31. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
32. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
33. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)  
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)